भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4075
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

विधि व्यवसाय में विनियमन

4075. श्री रवनीत सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के विधि आयोग को दिए गए निदेश की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार देश में विधि पेशे के घटते स्तर और बढ़ती असहिष्णुता के आलोक में विधि पेशे के विनियमन संबंधी सभी संगत मुद्दों की समीक्षा/जांच की जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार/विधि आयोग की प्रतिक्रिया क्या हैं ;

(ग) व्यवसाय में अदक्षता को समाप्त करने के लिए विधिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए/किए जा रहे हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विधिक शिक्षा/ व्यवसाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : माननीय उच्चतम न्यायालय ने महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 2016, एससी 3302) मामले में भारत के विधि आयोग से विधिक वृत्ति के विनियमन से संबंधित सभी सुसंगत पहलुओं के बारे में सभी संबद्ध पणधारियों से तुरंत परामर्श करने का अनुरोध किया है। उपरोक्त कथित मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय से संदर्भ प्राप्त करने पर विधि आयोग ने सभी संबद्धों के साथ परामर्श करके विषय-वस्तु की परीक्षा की और सरकार को अपनी रिपोर्ट सं. 266 शीर्षक "अधिवक्ता अधिनियम 1961 , (विधिक वृत्ति का विनियमन)" तारीख 23.03.2017 को प्रस्तुत की।

(ग) और (घ) : पूर्व में, सरकार ने पणधारियों से परामर्श करने के पश्चात्, विधिक शिक्षा में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय विधि स्कूल विधेयक, 2011 प्रारूप तैयार किया। उसके पश्चात् अनेक राज्यों ने अपने-अपने कानूनों के माध्यम से राष्ट्रीय विधि स्कूल/विश्वविद्यालय, जो गुणता विधिक शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख संस्थान हैं, स्थापित किए। इन संस्थानों में अब प्रवेश

एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विधिज्ञ परिषद् शिक्षा नियम, 2008, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन उसकी विधि में डिग्री की मान्यता के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के आधार पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन के प्रयोजन हेतु विधि में डिग्री की मान्यता और विधिक शिक्षा के मानक अधिकथित करते हैं।

****